

इसे वेबसाईट www.govtppressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 696]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 30 दिसम्बर 2010—पौष 9, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2010

क्र. 7692-406-इक्कीस-अ-(प्रा).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 24 दिसम्बर, 2010 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्व-साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव,

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २७ सन् २०१०

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, २०१०

“मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)” में दिनांक ३० दिसम्बर, २०१० को प्रथम बार प्रकाशित किया गया।

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम।

भारत गणराज्य के इक्सठर्वें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, २०१० है।

अनुसूची का २. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की अनुसूची में, अनुक्रमांक १ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनु- क्रमांक	निजी विश्वविद्यालय का नाम	प्रायोजी निकाय का नाम	प्रायोजी निकाय की स्थापना की पद्धति	मुख्य परिसर	अधिकारिता
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
“२.	आईसेक्ट विश्वविद्यालय आल इण्डिया सोसायटी फार इलेक्ट्रॉनिक्स एण्ड कम्प्यूटर टेक्नोलॉजी, भोपाल।	मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १९७३ (क्रमांक ४४ सन् १९७३) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी	आईसेक्ट विश्वविद्यालय, सम्पूर्ण ग्राम-मेहदुआ, भोपाल- चिकलोद रोड, तहसील- गौहरगंज, जिला-रायसेन (म.प्र.).		
३.	एमिटी विश्वविद्यालय रितनन्द बालवेद एजुकेशन फाउंडेशन, नई दिल्ली।	सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १८६० (केन्द्रीय अधिनियम क्रमांक २१ सन् १८६०) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी।	एमिटी विश्वविद्यालय, महाराजपुरा डांग, ग्वालियर (म.प्र.).	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश”।	

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2010

क्र. 7693-406-इक्कीस-अ-(प्रा.)—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (३) के अनुसरण में मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) द्वितीय संशोधन अधिनियम, 2010 (क्रमांक 27 सन् 2010) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव।

MADHYA PRADESH ACT
No. 27 OF 2010.

**THE MADHYA PRADESH NIJI VISHWAVIDYALAYA (STHAPANA AVAM SANCHALAN)
DWITIYA SANSHODHAN ADHINIYAM, 2010.**

First published in the “Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)”, dated the 30th December, 2010.

An Act further to amend the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-first year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Dwitiya Sanshodhan Adhiniyam, 2010. Short title.

2. In the Schedule to the Madhya Pradesh Niji Vishwavidyalaya (Sthapana Avam Sanchalan) Adhiniyam, 2007 (No. 17 of 2007), after serial number 1 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be inserted, namely :— Amendment of Schedule.

Serial No.	Name of Private University (1)	Name of Sponsoring body (2)	Mode of forming Sponsoring body (3)	Main campus (5)	Jurisdiction (6)
“2.	AISECT University	All India Society for Electronics and Computer Technology, Bhopal.	Registered Society under the M.P. Society Registrikan Adhiniyam, 1973 (No. 44 of 1973)	AISECT University Village-Mehdua, Bhopal-Chiklod Road, Tehsil Goharganj District Raisen (M.P.).	Whole of Madhya Pradesh
3.	Amity University	Ritnand Balved Education Foundation, New Delhi	Registered Society under the Societies Registration Act, 1860 (Central Act No. 21 of 1860)	Amity University Maharajpura Dang, Gwalior, (M.P.)	Whole of Madhya Pradesh”.